संख्या–क0नि0–5–1597/11–2004–312(147)/03

प्रेषक,

रीता सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 26 अप्रैल, 2004

विषयः– बड़े मूल्य के लेखपत्रों द्वारा आन्तरित सम्पत्ति के स्थल निरीक्षण के सम्बन्ध में।
पत्र सं0–क0नि0–5–वी0आई0पी0–148(2)/11–2003
पत्र सं0–क0नि0–5–वी0आई0पी0–487/11–2003

महोदय,

शासन के पार्श्वांकित पत्रों द्वारा आपको अपने अपने जनपदों के 5 बड़ी मालियत के लेखपत्रों द्वारा आन्तरित सम्पत्तियों का स्वयं निरीक्षण कर प्रत्येक माह निरीक्षण आख्या महानिरीक्षक निबंधन को भेजते हुए प्रति शासन को भेजने के निर्देश दिये गये हैं किन्तु मात्र 5 से 10 जनपदों से ही सूचनायें नियमित रूप से प्राप्त हो रही हैं। शेष जनपदों से सूचनायें प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। यह स्थिति अत्यन्त ही चिन्ताजनक है। कतिपय जनपदों से प्राप्त होने वाली सूचनाओं में यह स्पष्ट नहीं होता है कि पायी गयी स्टाम्प कमी का कारण क्या है तथा कमी पाये जाने पर क्या कार्यवाही की गई है।

आप सभी अवगत ही हैं कि जनपदों में इस प्रकार किये जा रहे औचक निरीक्षणों में एक ओर प्रदेश के राजस्व की वृद्धि हो रही है वहीं दूसरी ओर स्टाम्प करापवंचन करने कराये जाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही होने से समाज में स्टाम्प चोरी न किये जाने का सन्देश भी प्रसारित हो रहा है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रत्येक जिलाधिकारी/अपर–जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं उप/सहायक महानिरीक्षक निबंधनगण अपने–अपने जनपदों में क्रमशः–5, 25 व 50 बड़े मूल्य के लेखपत्रों द्वारा अन्तरित सम्पत्तियों के स्थल निरीक्षण करें। स्टाम्प कमी पाये गये प्रकरणों में नियमानुसार पंजीकरण तिथि से चार वर्ष के अन्दर के प्रकरणों में तत्काल स्टाम्प वाद योजित करते हुए कार्यवाही की जाये तथा यदि उक्त अवधि व्यतीत हो चुकी हो तो नियमानुसार शासन की अनुमति प्राप्त करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही की जाये। जिन प्रकरणों में स्टाम्प कमी रु0–50000/– से अधिक पाई जाये उसमें यह जॉच अवश्य करा ली जाये कि कहीं विभागीय कार्मिकों की कदाशयता/अन्तर्ग्रस्तता तो नहीं है। यदि विभागीय कार्मिक कदाशयता में संलिप्त पाये जायें तो उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति भी उपलब्ध कराई जाये।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए मासिक सूचनायें नियमित रूप से आगामी माह की 10 तारीख तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराते हुए प्रति महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0 शिविर कार्यालय, लखनऊ को भेजने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह0अस्पष्ट
(रीता सिन्हा),
प्रमुख सचिव।

संख्या–क0नि0–5–1597(1)/11–2004, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश शिविर कार्यालय, लखनऊ।
3. समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(अरुण सिंह)
विशेष सचिव।